(170)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर बेंच रीवा(म0प्र0)

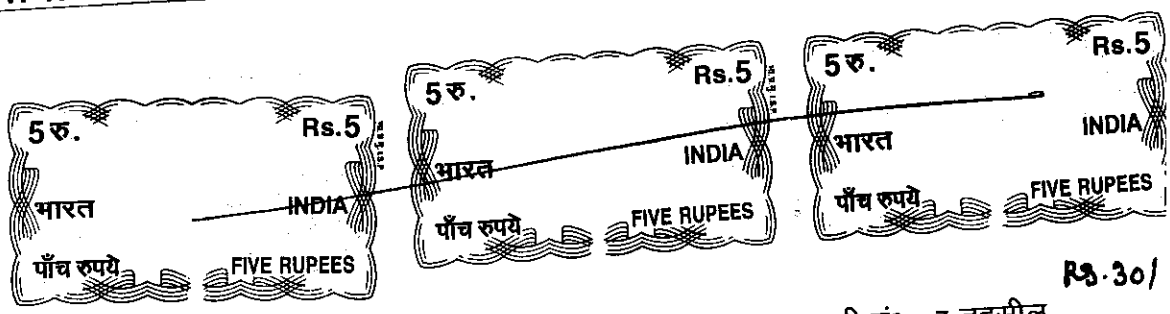

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.30/

R5145II/17

1— अजय शंकर शुक्ला तनय श्री एस0एन0शुक्ला निवासी जवाहरनगर गली नं0— 7 तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

2— अब्दुल अयाज तनय अब्दुल जब्बार निवासी जवाहर नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)————————————————**निग0/आवेदकगण**

बनाम्

————————————————**अनावेदक**

1— शासन म0प्र0 जरिये हल्का पटवारी सतना

2— श्रीमती अक्सा विश्वास पत्नी डा0 मनीष विश्वास पुत्री स्व0 हैरियट जरिये मुख्त्यारआम रमेश कुमार शुक्ला तनय नरेश कुमर शुक्ला निवासी मालवीय नगर कामता टोला सतना————————————————**गैर निग0/अना0गण**

अधिवक्ता श्री. अजयशंकर द्वारा पेश/ 04-4-17

निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 20.02.2017 रा0प्र0क0 48 ए 12/2016—17 राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

धारा 50 का0मा0

मान्यवर,

निगराकार/आवेदकगण निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत करता है—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि आ0नं0 371/15/क/1/क/1/1/1/2 रकवा 0.055 हे0 मौजा सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 निग0/आवेदकगणों के स्वामित्व व कब्जे दखल की भूमि है । राजस्व खसरा में उक्त भूमि निगराकार/आवेदकगणों नाम दर्ज अभिलेख है । आवेदक/निग0गणों ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 20.07.2016 विक्रेता सईद हुसैन निवासी पन्नीलाल चौक सतना से क्रय कर अपने नाम नामान्तरण जरिये रा0प्र0कमांक 3 अ 6/16—17 आदेश दिनांक 05.11.16 कराया है । इस प्रकार निगराकारगण उक्त भूमि के भू—स्वामी स्वत्वधारी एवं कब्जेदार है ।

यह कि आवेदक/निग0गणों ने अपने स्वामित्व व कब्जे दखल की उक्त भूमि आ0 नं0 371/15 /क/1/क/1/1/1/2 रकवा 0.55 हे0 मौजा सतना का सीमांकन ... किया गया जिसे रा0प्र0कमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5145–दो/17 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री डा0 अजय शंकर द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील व जिला सतना के प्रकरण कमांक 48/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.2.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई । 2– – मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.2.17 में उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति सही पाई गई है और उनका प्रकरण अपर आयुक्त रीवा न्यायालय में संचालित है तथा आवेदक द्वारा विक्रय पत्र में चौहददी अंकित की गई है, उसमें आपत्तिकर्ता का आधिपत्य अर्सा पूर्व से होना प्रमाणित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आराजी पर कब्जे एवं मकान के संबंध में आवेदकगणों द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे सीमांकित आराजी की पहचान संबंधी विवाद होना दर्शित होता है तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर भी आवेदक द्वारा दर्शित की गई आराजी न0 371/15 की पहचान किया जाना संभव नहीं है, जिस चौहददी के अन्तर्गत सीमांकन	

चाहा गया है, वह आपत्तिकर्ता के अर्सा पूर्व मकान एवं वाउण्ड्री बनाकर आधिपत्य में होना जांच के आधार पर पाये जाने के कारण सीमांकन किया जाना संभव नहीं है तथा विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक को पहले तरमीम की कार्यवाही करना चाहिये । अतएव समस्त परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुये राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील व जिला सतना के प्रकरण कमांक 48/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.2.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना का आदेश दिनांक 20.2.17 स्थिर रखा जाता है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य